

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] No. 41] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 10, 2017/माघ 21, 1938

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10, 2017/MAGHA 21, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली 10 फरवरी, 2017

ਚਂo 58/2015-2020

विषयः प्रकिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 3.06 में संशोधन

फा.सं. 01/61/180/33/एएम 16/पीसी—3.—विदेश व्यापार नीति, 2015—20 के पैराग्राफ 2.04 के तहत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार (डीजीएफटी) एतद्द्वारा एमईआईएस और एसईआईएस के लिए क्षेत्राधिकारी आर ए दर्शानेवाली दो तालिकाओं के साथ सार्वजनिक सूचना सं. 30/दिनांक 26 अगस्त, 2015 के द्वारा अधिसूचित उप—पैरा (ख) और (ग) को प्रतिस्थापित कर प्रक्रिया पुस्तक 2015—20 के पैराग्राफ 3.06 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

3.06 क्षेत्राधिकारी आर ए/संबंधित आर ए

(क) आवेदक को एमईआईएस और एसईआईएस के तहत आवेदन—पत्र/आवेदन—पत्रों को सौंपने के लिए आईईसी पर पृष्ठांकित कारपोरेट कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय/मुख्यालय शाखा कार्यालय के पते के आधार पर क्षेत्राधिकारी आरए को चुनने का विकल्प रहेगा। इस विकल्प का वित्तीय वर्ष की शुरुआत में चयन करना होगा। यदि एक बार विकल्प का चयन कर लिया जाता है तो उस वर्ष से संबधित दावों के लिए कोई परिवर्तन अनुमत नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि एक आवेदक ने 2015—16 के दौरान किए गए निर्यात के लिए प्रतिफल का दावा करने हेतु आरए चेन्नई का चुनाव किया है तो 2015—16 के लिए किए गए निर्यात के लिए सभी दावे, आवेदन—पत्र की तिथि को ध्यान में रखे बगैर, केवल आरए चेन्नई को ही किए जाएंगे।

749 GI/2017 (1)

(ख) एमइआईएस के लिए क्षेत्राधिकार

1	2	3
क्र.सं.	यूनिट	क्षेत्राधिकार आर ए
1.	डीटीए / ईएचटीपी / बीटीपी / एसटीपी या इनमें	विदेश व्यापार महानिदेशालय का
	से एक से अधिक में यूनिट रखने वाले आयातक	क्षेत्राधिकारी आरए जैसा कि परिशिष्ट 1
	निर्यातक कोड (आईईसी) धारक	क में है।
2.	एसइजेड / ईओयू या दोनों में यूनिट रखने वाले	परिशिष्ट 1 क के अनुसार विशेष आर्थिक
	आईईसी घारक	क्षेत्र (एसईजेड) के संबंधित विकास
		आयुक्त
3.	उपर्युक्त (i) और (ii) क्षेत्रों में यूनिट रखने वाले	श्रेणी (i) और (ii) में स्थित यूनिटें कालम
	आईईसी घारक	 –3 के संबधित क्षेत्राधिकारों में आवेदन
		करेंगी।

(ग) एसईआईएस के लिए क्षेत्राधिकार (वार्षिक आधार पर एक आवेदन)

1	2	3
क्र.सं.	यूनिट	क्षेत्राधिकार आर ए
1.	केवल डीटीए में यूनिट रखने वाले आईईसी	परिशिष्ट 1 क के अनुसार विदेश
	घारक	व्यापार महानिदेशालय का क्षेत्राधिकारी
		आर ए
2.	केवल एसईजेड में यूनिट रखने वाले आईईसी	परिशिष्ट 1 क के अनुसार विशेष आर्थिक
	घारक	क्षेत्र (एसईजेड) के संबंधित विकास
		आयुक्त
3.	विविघ एसईजेड में यूनिट वाले आईईसी घारक	एसईजेड के विकास आयुक्त को सभी
	<u>.</u>	यूनिटों के लिए एक आवेदन जहां इसने
		संबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की है।
4.	डीटीए और एसईजेड दोनों में यूनिट रखने वाले	परिशिष्ट 1 क में दिए अनुसार विदेश
	आईईसी घारक	व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्राधिकारी
		आर ए को सभी भिन्न–भिन्न यूनिटों के
		लिए एक आवेदन

सार्वजनिक सूचना का प्रभावः विविध श्रेणी के यूनिटों वाले निर्यातकों के लिए क्षेत्राधिकारी आर ए के बारे में उपर्युक्त दो तालिकाओं में स्पष्ट किया गया है।

ए. के. भल्ला, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 10th February, 2017

No. 58/2015-2020

Subject: Amendment in Paragraph 3.06 of Handbook of Procedures 2015-20

F. No. 01/61/180/33/AM16/PC-3.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade (DGFT) hereby makes the following amendments in Paragraph 3.06 of Handbook of Procedures 2015-20 by replacing sub para (b) & (c) notified vide PN 30/dated 26 August, 2015 with two tables showing jurisdictional RA for MEIS & SEIS.

3.06 Jurisdictional RA/RA Concerned:

(a) Applicant shall have option to choose Jurisdictional RA on the basis of Corporate Office/ Registered Office/Head Office / Branch Office address endorsed on IEC for submitting application/s under MEIS and SEIS. This option need to be exercised at the beginning of financial year. Once an option is exercised, no change would be allowed for claims relating to that year. To illustrate, if an exporter has chosen RA Chennai for claiming rewards for exports made in 2015-16,then all claims for exports made in 2015-16, irrespective of the date of application shall be made to RA Chennai only.

(b) Jurisdiction for MEIS

1	2	3
Sl.No	Units	Jurisdictional RA
(i)	Importer Exporter Code(IEC) holders having	Jurisdictional RA of DGFT as in Appendix 1A
	units in DTAs/ EHTPs / BTPs/ STPs or more	
	than one of these	
(ii)	IEC holders having units in SEZs /EOUs or	Respective Development Commissioner of
	both	Special Economic Zones (SEZs) as in Appendix
		1A
(iii)	IEC holders having units both in (i) & (ii) above	Units located in category (i) & (ii) will apply to respective Jurisdictions at Col-3

(c) Jurisdiction for SEIS (Single application on annual basis)

1	2	3
Sl.No	Units	Jurisdictional RA
(i)	IEC holders having units only in	Jurisdictional RA of DGFT as in Appendix 1A
	DTAs	
(ii)	IEC holders having units only in	Respective Development Commissioner of Special
	SEZs	Economic Zones (SEZs) as in Appendix 1A
(iii)	IEC holders having units in multiple	Single application for all units to the Development
	SEZs	Commissioner of the SEZ where it has achieved highest
		Forex Earnings.
(iv)	IEC holders having units both in DTA	Single application for all different units to the
	and SEZs	Jurisdictional RA of DGFT as given in Appendix 1A

Effect of Public Notice: Jurisdictional RAs for exporters with multiple categories of units have been spelt out in the above two tables.

A. K. BHALLA, Director General of Foreign Trade